Meticulous Investigation & Prosecution

BAGHPAT POLICE

“ऑपरेशन कन्विक्शन” के क्रम में नाबालिग के साथ दुष्कर्म की घटना कारित करने के आरोपी सौकेन्द्र को पुलिस और अभियोजन विभाग द्वारा प्रभावी पैरवी किए जाने पर हुआ अन्तिम सांस तक आजीवन कारावास व 01 लाख 10 हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा-

अवगत कराना है कि वर्ष 2024 में अभियुक्त सौकेन्द्र पुत्र राजपाल निवासी काजमाबाद गून थाना प्रतापुर जनपद मेरठ द्वारा वादी की नाबालिग पुत्री के साथ घर में घुसकर दुष्कर्म करने की घटना कारित की गई थी, जिसके सम्बन्ध में थाना बालैनी पर मु0अ0सं0 22/24 धारा 452/376/एबी भादवि व 5एम/6 पोक्सो एक्ट पंजीकृत किया गया था। इस अभियोग को श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के अन्तर्गत चिन्हित किया गया तथा श्रीमान पुलिस अधीक्षक बागपत के निर्देशन में पुलिस व अभियोजन विभाग द्वारा प्रभावी पैरवी की गयी, जिसके परिणामस्वरूप दिनांक 09.04.2026 को मा0 न्यायालय अपर जिला जज कोर्ट-05 जनपद बागपत द्वारा अभियुक्त सौकेन्द्र को दोषी पाते हुए अन्तिम सांस तक आजीवन कारावास व 01 लाख 10 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

प्रभावी पैरवी कर अभियुक्तों को सजा दिलाना बागपत पुलिस की प्राथमिकता है तथा “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के क्रम में बागपत पुलिस का अभियुक्तों के विरूद्ध प्रभावी पैरवी कर सजा दिलाने का अभियान निरन्तर जारी रहेगा।

नरेन्द्र पंवार
एडीजीसी

है0का0 विनोद कुमार
कोर्ट पैराकार

@baghpatpolice | baghpatpolice | Baghpat Police

प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना खेकड़ा   दिनाँक 09.04.2026

थाना खेकडा पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 33/26 धारा 304(2) बीएनएस-2023 व मु0अ0सं0 104/26 धारा 305(a)/331(4) बीएनएस-2023 में वांछित 01 जिला बदर अभियुक्त को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से चोरी की एक अँगुठी पीली धातु, एक अंगुठी पीली धातु सफेद नग की, एक मोबाइल सैमसंग की पैड, 1150 रुपये नगद, एक अवैध तमंचा .315 बोर मय 02 जिन्दा कारतूस .315 बोर व घटना में प्रयुक्त 01 मोटरसाइकिल हीरो स्प्लेंडर बिना नम्बर प्लेट बरामद ।

संक्षिप्त विवरणः-

1. दिनाँक 13.02.26 को थाना खेकड़ा पर वादी अंकित पुत्र विद्याराम निवासी शरफाबाद थाना खेकडा जनपद बागपत ने लिखित सूचना दी कि 03 अज्ञात व्यक्तियो द्वारा वादी से एक मोबाइल सिम नं0 8273939047 व 6700 रुपये छीन लिये है। इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना खेकड़ा पर मु0अ0सं0 33/26 धारा 304(2) बीएनएस-2023 पंजीकृत किया गया था

2. आवेदिका ने लिखित सूचना दी कि अज्ञात चोर द्वारा वादिनी के घर से एक गैस सिलेन्डर, चांदी के गहने व 45000 रुपये नगद चोरी कर लिये है। इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना खेकड़ा पर मु0अ0सं0 104/26 धारा 305(A) बीएनएस-2023 पंजीकृत किया गया था ।

कार्यवाहीः-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं चोरों/वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना खेकडा पुलिस द्वारा थाना खेकडा के मु0अ0सं0 33/26 धारा 304(2) बीएनएस-2023 व मु0अ0सं0 104/26 धारा 305(a)/331(4) बीएनएस में वांछित चल रहे एक जिला बदर अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है, जिसके कब्जे से चोरी की एक अँगुठी पीली धातु, एक अंगुठी पीली धातु सफेद नग की, एक मोबाइल सैमसंग की पैड (सम्बन्धित मु0अ0सं0 104/26) व 1150 रूपये (सम्बन्धित मु0अ0सं0 33/26) व एक अवैध तमंचा .315 बोर मय 02 जिन्दा कारतूस .315 बोर व घटना में प्रयुक्त 01 मोटरसाइकिल हीरो स्प्लेंडर बिना नम्बर प्लेट बरामद हुई है ।

उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर उपरोक्त दोनो मुकदमो में अभियुक्त साकिब उपरोक्त के विरुद्ध धारा 317(2) बीएनएस की बढोत्तरी की गई । थाना खेकडा पर अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

1.साकिब पुत्र चुन्नु निवासी वार्ड नं0 03 कस्बा रटौल थाना खेकडा जनपद बागपत

दिनांक 08-04-2026 को गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता-

1. राशिद पुत्र यासीन निवासी वार्ड नं0 03 मरकज मस्जिद के पास कस्बा रटौल थाना खेकडा जनपद बागपत उम्र करीब 23 वर्ष
2. हुजैफा पुत्र शकील निवासी वार्ड नं0 03 हवेली नगर कस्बा रटौल थाना खेकडा जनपद बागपत उम्र करीब 24 वर्ष

बरामदगी का विवरण-

- एक अँगुठी पीली धातु, एक अंगुठी पीली धातु सफेद नग की, एक मोबाइल सैमसंग कीपैड (सम्बन्धित मु0अ0सं0 104/26)
- 1150 रूपये नगद (सम्बन्धित मु0अ0सं0 33/26)
- एक तमंचा .315 बोर व दो जिन्दा कारतूस .315 बोर नाजायज
- घटना में प्रयुक्त 01 मोटरसाइकिल हीरो स्पलेन्डर बिना नम्बर प्लेट

अभियुक्त साकिब उपरोक्त का आपराधिक इतिहास -

1. मु0अ0सं0 26/19 धारा 307 भादवि थाना खेकडा बागपत
2. मु0अ0सं0 73/23 धारा 380/457,120बी भादवि थाना चांदीनगर, बागपत

3. मु0अ0सं0 15/25 धारा 317(2),317(5),345(3) बीएनएस थाना खेकडा बागपत

4. मु0अ0सं0 359/25 धारा 303(2),317(2),317(5) BNS थाना खेकडा बागपत

5. मु0अ0सं0 149/25 धारा 303(2),317(2) BNS थाना छपरौली बागपत

6. निवा0सं0 08/25 03 यूपी गुण्डा अधिनियम थाना खेकडा बागपत - जिला बदर 06 माह दिनांक 04.12.25 से

7.मु0अ0सं0 33/26 धारा 304(2), 317(2) बीएनएस थाना खेकडा बागपत

8. मु0अ0सं0 104/26 धारा 305(a)/331(4), 317(2) बीएनएस थाना खेकडा बागपत

9. मु0अ0सं0 110/26 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट व 3/10 उ0प्र0 गुण्डा अधि0 थाना खेकडा बागपत

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1-उ0नि0 श्री भुरेन्द्र सिंह चौहान थाना खेकडा जनपद बागपत ।

2-है0का0 897 जयवीर सिंह थाना खेकडा जनपद बागपत ।

3-है0का0 886 अमित कुमार थाना खेकडा जनपद बागपत ।

4-है0का0 847 राकेश कुमार थाना खेकडा जनपद बागपत ।

5-है0का0 08 मुकेश कुमार थाना खेकडा जनपद बागपत ।

प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना बडौत   दिनाँक 09.04.2026

थाना बडौत पुलिस ने चैकिंग के दौरान शराब तस्कर एक अभियुक्त को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से 24 पव्वे अंग्रेजी शराब हरियाणा मार्का बरामद।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अवैध मादक पदार्थ की रोकथाम अभियान के अन्तर्गत थाना बडौत पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है, गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 24 पव्वे अंग्रेजी शराब NIGHT BLUE हरियाणा मार्का बरामद हुये है।

उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना बड़ौत पर मु0अ0सं0 231/2026 धारा 63 आबकारी अधि0 पंजीकृत किया गया। आवश्यक एवं विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

सुधीर पुत्र इन्द्रपाल निवासी ग्राम जौनमाना थाना बड़ौत जनपद बागपत उम्र 50 वर्ष।

बरामदगी का विवरण-

- 24 पव्वे अंग्रेजी शराब NIGHT BLUE हरियाणा मार्का।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उ0नि0 श्री संजीव कुमार थाना बडौत जनपद बागपत।

2- है0का0 437 बलजीत सिंह थाना बड़ौत जनपद बागपत।

3- है0का0 438 कवित कुमार थाना बडौत जनपद बागपत

4- है0का0 138 अनिल कुमार थाना बडौत जनपद बागपत

प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना कोतवाली बागपत **दिनाँक 09.04.2026**

थाना कोतवाली बागपत पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 770/25 धारा 333/109(1)/352/351(2)/61(2) बीएनएस से सम्बन्धित एक अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 25.12.2025 को थाना कोतवाली बागपत पर वादी श्री अनिल पुत्र मनीराम निवासी ग्राम संतोषपुर थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत द्वारा लिखित तहरीर दी गई कि 04 अभियुक्तों 1- सिद्धु पुत्र अज्ञात निवासी ग्राम मेवला भट्टी जनपद गाजियाबाद, 2- कनिष पुत्र करमपाल निवासी ग्राम संतोषपुर थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत तथा 02 अन्य व्यक्ति नाम-पता अज्ञात द्वारा वादी के घर में घुसकर वादी के भाई एवं अन्य परिवारीजनों पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग की गई। इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली बागपत पर मु0अ0सं0 770/25 धारा 333/109(1) बीएनएस पंजीकृत किया गया था।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना कोतवाली बागपत

पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 770/25 धारा 333/109(1)/352/351(2)/61(2) बीएनएस में वांछित 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

नोट- उपरोक्त अभियोग में थाना कोतवाली बागपत पुलिस द्वारा दिनांक 14-01-2026 को 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया जा चुका है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

दीपांशु पुत्र सुन्दर निवासी ग्राम सन्तोषपुर थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1- उ0नि0 श्री आलोक कुमार थाना बागपत जनपद बागपत।

2- है0का0 551 छत्रपाल सिंह थाना बागपत जनपद बागपत।

BAGHPAT POLICE

थाना बिनौली साइबर टीम , जनपद बागपत

-अप्रैल- 2026

थाना बिनौली साइबर टीम, जनपद बागपत के द्वारा माह अप्रैल-2026 में आवेदक/पीडित से ऑनलाइन धोखाधडी की धनराशि कुल -99,000/- रूपये वापस कराये गये–

आवेदक/पीडित श्री अशोक कुमार पुत्र शीशराम निवासी फतेहपुर पुटठी थाना बिनौली जनपद बागपत के खाते से किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा ऑनलाइन 99,000 रुपये की धोखाधडी कर ली थी, जिसके सम्बन्ध में आवेदक ने NCRP पोर्टल पर दर्ज करायी, जिसका ACK. N0- 23111250182454 है, शिकायत प्राप्त होने पर थाना बिनौली साइबर टीम द्वारा शिकायत का तत्काल संज्ञान लेते हुए त्वरित विधिक कार्यवाही की गयी। पीडित के बैंक खाते से ऑनलाइन धोखाधडी की सम्पूर्ण धनराशि 99,000 रुपये को वापस कराया गया।

आवेदक को रुपये वापस मिलने पर आवेदक/पीड़ित द्वारा थाना बिनौली पुलिस की प्रशंसा करते हुए आभार व्यक्त किया गया।

क्र0सं0	नाम थाना	प्रा0पत्र सं0	वापस करायी गयी धनराशि
1	बिनौली	23111250182454	99,000 रुपये

आवेदक/पीडित को रुपये वापस कराने वाली टीम:-

1-प्र0 नि0 श्री राकेश कुमार शर्मा थाना बिनौली बागपत

2-उ0नि0 श्री सत्यवीर सिंह परमार थाना बिनौली बागपत

3-है0का0 801 सावन कुमार थाना बिनौली बागपत

4-है0का0 481 गुरदीप सिंह थाना बिनौली बागपत